मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / 709 / 6792 भोपाल, दिनांक 28/07/2021

प्रति,

01. संयुक्त संचालक / उपसंचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)

02. कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकि कार्यालय .... (समस्त)

विषय :– सुशील चन्द्र वर्मा पुरूस्कार योजना वर्ष 2020–21 हेतु आवेदन भेजने के संबंध में।

संदर्भ :– अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र कमांक 1096 / 2021 / 14(AGR) के साथ संलग्न उपसचिव म.प्र. शासन समान्य प्रशासन विभाग का पत्र कमांक एफ–10–05 / 20211 / 4 भोपाल दिनांक 29 जून 2021

––00––

उल्लेखित संदर्भित पत्र से राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को उत्कृष्ठ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं शासकीय कार्यो में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने हेतु "सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना" हेतु नामांकन आवेदन आमंत्रित किये जा रहें हैं। जिसकी समय–सीमा दिनांक 09.08.2021 निर्धारित हैं। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं।

अतः इस संबंध में आपके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में समस्त कॉलमों की पूर्ति करते हुये विभागीय अनुशंषा के साथ इस कार्यालय को जानकारी दिनांक 05.08.2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित।)

अपर संचालक (कार्मिक)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / 709 / 6793 भोपाल, दिनांक 28/07/2021

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भारसाधक अधिकारी / सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ....जिला ....म.प्र.।

अपर संचालक (कार्मिक)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

339387/2021/14(Sec-2)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

अभिप्राय-K
12.7.21

क्रमांक एफ–10–05/2021/1/4 भोपाल, दिनांक 29 जून, 2021

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय, भोपाल।

2. समस्त अनुभाग अधिकारी
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः– सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना वर्ष 2020–21 हेतु आवेदन भेजने बाबत।

संदर्भः– इस विभाग का पत्र क्र. एफ–10–7/2015/1/4, दिनांक 08 अक्टूबर 2015

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से शासकीय सेवकों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं शासकीय कार्यो में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने हेतु "सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना" हेतु नामांकन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है ।

2/ कृपया आपके विभाग में पदस्थ शासकीय सेवकों को पुरस्कार हेतु जारी मापदण्ड के अनुसार नामांकन आवेदन पत्र को समस्त कॉलमों की पूर्ति करते हुए विभागीय अनुशंसा के साथ दिनांक 09/08/2021 तक अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण/बिना अनुशंसा/विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएगे ।

संलग्नः– नामांकन का आवेदन पत्र।

29/6/21
(डी. के. नागेन्द्र)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ–10–05/2021/1/4. भोपाल, दिनांक 29 जून, 2021

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव/विशेष सहायक, माननीय मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री (समस्त),
2. अध्यक्ष, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

29/6/21
उप सचिव
म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

SO-11
All HOD

SO/E1
All HOD
12/7/21

BKD new Letter

9387/2021/14(Sec-2)

<u>प्रारूप</u>

सुशील चंद्र वर्मा पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21
<u>नामांकन हेतु आवेदन पत्र</u>

(भाग–एक)

(बिन्दु क्रमांक 1 से 7 तक की जानकारी आवेदक द्वारा अपने स्तर से भर कर प्रशासकीय विभाग को सौंपी जाएगी)

1. नाम – ....

....

2. पदनाम – ....

....

3. विभाग का नाम – ....
(वर्तमान में जहां कार्यरत है) ....

4. वर्ष जिसके लिए पुरस्कार हेतु आवेदन किया जा रहा है । (वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें) – ....

5. आवेदक द्वारा अपने कार्य के विषय में 200 शब्दों में संक्षिप्त टीप नोटः–

नोटः 1. इसके अन्तर्गत आवेदक द्वारा अपने कार्य का विवरण

2. शाखा के कार्य को बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव

3. शाखा एवं कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के संबंध में संक्षिप्त सुझाव लिखे जा सकते हैं।

6. वर्ष में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का विवरण :–

(1)————————————————

(2)————————————————

(3)————————————————

(4)————————————————

(5)————————————————

7. वर्ष में प्राप्त अन्य पुरस्कारों की जानकारी :–

(1)————————————————

(2)————————————————

(3)————————————————

(4)————————————————

(5)————————————————

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

(भाग–दो)

(बिन्दु 8 से 10 तक की जानकारी प्रशासकीय विभाग द्वारा भरते हुए आवेदन प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को अंतिम तारीख से पहले उपलब्ध कराये जाएगें)

---

8. वर्तमान वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन के मतांकन पर अंक (इसकी जानकारी पुरस्कार नियम की तालिका में उल्लेखित अनुसार प्रशासकीय विभाग के द्वारा अंकित की जाए) ________

9. शासकीय सेवक के विरूद्ध संस्थित विभागीय– जांच/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में दर्ज प्रकरण अथवा लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज नहीं होने के संबंध में जानकारी स्पष्ट अंकित की जाए। प्रकरण दर्ज है/नहीं है। प्रकरण प्रचलित है /नही है ।

10. गोपनीय प्रतिवेदन की जानकारी (वर्तमान वर्ष जिसके लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है) कार्य की गुणवत्ता एवं अन्य बिन्दु पर जानकारी :–

i. कार्य के प्रति लगनशीलता	(02 अंक)	------
ii. समय के पाबंद	(02 अंक)	------
iii. जन सामान्य के प्रति व्यवहार एवं संवेदनशीलता	(02 अंक)	------
iv. कार्य के प्रति समर्पण	(02 अंक)	------
v. शासकीय योजनाओं/नियमों/ निर्देशों का ज्ञान	(02 अंक)	------
vi. कार्यालय में उपस्थिति एवं नियमितता	(02 अंक)	------
vii. अतिरिक्त कार्य लेने के प्रति तत्परता	(02 अंक)	------
viii. योजना बनाने की योग्यता नस्तियों का रखरखाव	(02 अंक)	------
ix. Computer पर कार्यों के संबंध में ज्ञान	(02 अंक)	------
x. कार्य की गुणवत्ता	(02 अंक)	------
xi. गणवेश धारण करने पर अंक		------
xii. स्वच्छता/साफ–सफाई		------

नोट :

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बिन्दु (viii) एवं (ix) पर जानकारी नही दी जाना है।

(2) इसी तरह अन्य कर्मचारियों के लिए बिन्दु क्रं. (xi) एवं (xii) पर जानकारी नही दी जाना है।

(3) भाग–2 की जानकारी के बगैर प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे। यह जानकारी मात्र अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अथवा सचिव एवं उपसचिव एवं अवर सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही मान्य होंगे।

(4) जिन विभागों में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नहीं है उन विभागों के प्रस्ताव ही सचिव के माध्यम से मान्य किये जाएगें।

(5) शासकीय सेवक के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज प्रकरण अथवा लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज नहीं होने के संबंध में जानकारी बिन्दु क्रं. 9 में स्पष्ट अंकित की जाए।

अवर सचिव (प्रशासकीय विभाग)	उप सचिव (प्रशासकीय विभाग)	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव (प्रशासकीय विभाग)